

विवरण

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार श्रीमती जाया खटिया को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम कुन्दरमुण्डा खाता - 224/53 रकबा - 3.00 रु० वर्ष 2021-22 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम कुन्दरमुण्डा खाता नं० 224/53 प्लॉट नं० सर्वे खतियान में किस्म दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने अनियमित करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जाया खटिया पति - फाट खटिया ग्राम - कुन्दरमुण्डा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
<u>कुन्दरमुण्डा</u>	<u>64</u>	<u>224/53</u>	<u>-</u>	<u>3.00 रु०</u>

अतः विभागीय पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
बोल्डबा

अंचल अधिकारी,
बोल्डबा